इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 मई 2011—वैशाख 29, शक 1933

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2011

क्र. एफ. 14-17-2007-बयालीस-1.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रवेश नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. नियम 4 में,—

(एक) उपनियम (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिये संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी.";

(दो) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) प्रवेश के लिये पात्रता, समुचित प्राधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जा सकेगी.".

2. नियम 7 में,—

(एक) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, संस्था स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) के चरण के प्रारंभ होने के पूर्व तक भरने की अनुमति दी जायेगी. संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने के पश्चात् यदि संबंधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हें परामर्श (काउंसलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा. इस प्रवर्ग के अन्तर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा. प्रवेश निरस्त कराये जाने के कारण खाली होने वाले स्थान रिक्त रखे जाएंगे. किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त करेगा तथा ये स्थान रिक्त रखे जाएंगे."

(दो) उपनियम (11) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(11) ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, इन स्थानों के लिये प्रवेश हेतु पात्र होंगे. शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे. इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे. इस श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा. इन स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए. इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे.";

(तीन) उपनियम (12) में

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) ऑनलाईन ऑफ कैम्पस परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने के लिये अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित की गई प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है. इस प्रक्रिया के अंग जैसे दस्तावेजों का सत्यापन, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड का सृजन/परिवर्तन, महाविद्यालय तथा ब्रांचेज की प्राथमिकताओं के क्रम के विकल्प का चयन, तथा आवंटित संस्था में निर्धारित समय के भीतर प्रवेश के लिये रिपोर्टिंग आदि हो सकते हैं. परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने के लिये पंजीयन शुल्क जमा करने हेतु, अग्रिम शिक्षण शुल्क का भुगतान, पासवर्ड भूल/गुम हो जाने की दशा में द्वितीय पासवर्ड जारी करने की प्रक्रिया, प्रवेश के निरस्तीकरण की प्रक्रिया एवं अन्य सुसंगत जानकारियां सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) के समय उपलब्ध करायी जायेगी. अभ्यर्थियों को परामर्श (काउंसलिंग) प्रक्रिया के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारियां प्रदान करने तथा कठिनाईयां दूर करने के लिये सहायता केन्द्र/काल सेन्टर की सुविधा उपलब्ध रहेगी.";

(ख) खण्ड (ग), (घ), (ङ) तथा (च) का लोप किया जाए;

(ग) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ज) सामान्य प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम दौर के आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/ब्रांच में प्रवेश की कार्यवाही करनी होगी. ऐसे अभ्यर्थी, जो संस्था/ब्रांच उन्नयन का अवसर (सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित पाठ्यक्रम विशेष के लिये लागू होगा) लेना चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित रीति में निर्धारित तिथि के भीतर उन्नयन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें इस दौर में कोई संस्था आवंटित नहीं हुई है उन्हें भी उन्नयन का विकल्प देना होगा, उन्नयन होने की दशा में, अभ्यर्थी उन्नयित आवंटित संस्था/ब्रांच में प्रवेश की कार्यवाही करेगा अन्यथा पूर्व आवंटित संस्था/ब्रांच में प्रवेश की कार्यवाही करेगा. उन्नयन का विकल्प केवल प्रथम दौर की परामर्श (काउंसलिंग) में ही उपलब्ध रहेगा तथा अन्य परामर्श (काउंसलिंग) जिसमें अर्हकारी परीक्षा के आधार पर होने वाली परामर्श (काउंसलिंग) भी सम्मिलित है, उपलब्ध नहीं होगा. ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जो आवंटित स्थान/ब्रांच में परिवर्तन के इच्छुक हैं वे अपना प्रवेश सम्यक् रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अंतिम तिथि के पूर्व रद्द करवाकर परामर्श (काउंसलिंग) के अगले दौर में यदि कोई हो, सम्मिलित हो सकेंगे. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा ऐसे अभ्यर्थी भी जो विहित समय सीमा के भीतर आवंटित संस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएं है इस परामर्श (काउंसलिंग) में सम्मिलित हो सकेंगे.";

(घ) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(झ) यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें पृथक्-पृथक् अथवा साथ-साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा. अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा."

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हों. महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिये निर्धारित तिथियां, रिक्तियां, अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. इस परामर्श (काउंसलिंग) से प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित महाविद्यालय द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) की तिथि पर ही करना आनिवार्य है.

(ञ) बी. ई. पाठ्यक्रमों में, महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) के पूर्व, प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी यदि अपनी ब्रांच परिवर्तन के विकल्प लेने का इच्छुक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार ब्रांच परिवर्तन के लिये अपना विकल्प दे सकेगा. ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में, उसकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वत: ही निरस्त हो जाएगा तथा पश्चात्वर्ती ब्रांच में ही उसका प्रवेश बना रहेगा."

3. नियम 8 में,—

(एक) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिये अनुज्ञा प्राप्त कर

ली है. यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान सामान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे.'';

(दो) उपनियम (1-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(1-क) सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:—अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति. आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात् उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी. आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा. उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी. आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जोगी.'';

(तीन) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(2) इस चरण की काउंसलिंग के पश्चात् पाठ्यक्रम विशेष के लिये सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यताक्रम के आधार पर अथवा अर्हकारी परीक्षा के आधार पर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) के एक अथवा दो चरण आयोजित किए जाएंगे. यदि इन चरणों के बाद भी स्थान रिक्त रह जाते हैं, तो शेष स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे. अर्हकारी परीक्षा में अंकों के आधार पर प्रवेश के लिये यह प्रावधान एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्क्रमों के लिये लागू नहीं होगा.'';

(चार) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(5) सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) की सूची के अंतिम अभ्यर्थी को अवसर देने के पश्चात् यदि अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का विनिश्चय किया जाता है तो उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत विचार में लिए जाएंगे एवं जिसके लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा.'';

4. नियम 10 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम अन्त:स्थापित किया जाएं, अर्थात् :—

''(2) संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के लिये शिक्षण शुल्क.—अधिकतम 1.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये होगा. संस्था उपरोक्त शुल्क से भिन्न कम शुल्क प्रभारित कर सकेगी तथापि यह शिक्षण सामान्य पूल की सीटों के लिए विहित शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा. परंतु प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति तथा सक्षम प्राधिकारी को इस सूचना अग्रिम में देना होगी.''.

5. उपाबंध की मद 4 के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''4. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये पात्रता एआईसीटीई तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार होगी.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2011

क्र. एफ. 14-17-2007-बयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, प्रवेश नियम, 2008 के नियम 4, नियम 7, नियम 8, नियम 10 एवं उपाबंध में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th May, 2011

No. F 14-17-2007-XLII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Admission Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. In rule 4,-

(i) in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted namely :-

"(b) If permission is granted to any new institution or the number of seats in any existing institution are varied or permission to start second shift in existing institution is granted by the appropriate authority on or before 30th June of that year, the same may be incorporated in counselling of that year, provided that the institution gets the affiliation from the respective University and have a permission from the State Government, however in case of any change in the number of sanctioned seats of the existing institutes, the condition to get re-affiliation from the respective university, shall not apply.";

(ii) For sub-rule (3), the following sub rule shall be substituted, namely:-

"(3) Eligibility for admission may be decided by the appropriate authority and the State Government.".

2. In rule 7,-

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Only those institutions, which have given consent to give 10 percent concession in tution fee to all the admitted Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates of graduation, diploma and post diploma courses from the additional income earned through institutional preference seats, shall be permitted to fill up 10 percent seats of sanctioned intake per course, first in the order of merit on the basis of ranking in the State level common entrance test and thereafter if seats remains vacant, on the basis of merit of the marks in the qualifying examination and on fulfilling the eligibility criteria as notified by the AICTE/State Government and as per the schedule and procedure notified by the Competent Authority, and in the presence of authorized representative of the competent authority before the commencement of College Level Counselling phase. Once option for the institutional preference seats has been exercised and if the concerned Institution is not able to make admissions on these seats or makes part admissions on these seats, then these seats shall remain vacant and will not be included in any round of counselling. Candidates admitted under this category shall have no right to change their branch or institution for entire duration of course. Seats becoming vacant due to cancellation of admission shall also remain vacant. If at any stage, it is found that an institution or candidate has given or got admission on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts then Competent Authority shall cancel all such admissions and these seats will remain vacant.".

(ii) For sub-rule (11), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(11) Tuition Fee Waiver scheme for three/four year degree, diploma and post diploma courses shall be mandatory in all the institutions governed by AICTE in which 5 percent seats of the sanctioned intake shall be available on supernumerary basis. Candidates, whose parents' annual income is less than 2.5 Lakh rupees shall be entitled for admission against these seats. Concession under Fee Waiver Scheme shall be limited up to the amount of tuition fees only as determined by the Admission and Fees Regulatory Committee and any fee other than tuition fee, shall be borne by the candidates themselves. In case of non availability of the candidates in this category, these seats shall not be filled from the candidates of other category. Candidates admitted under this category shall have no right to change their branch or institution for entire duration of course. The admission procedure and counselling for these seats shall be similar as for regular admission and as notified by the competent authority. Only candidates having domicile of Madhya Pradesh shall be eligible for admission under this scheme.";

(iii) in sub-rule (12)(a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) to participate in online-off-campus counselling, candidates must follow the procedure declared by the competent authority. This procedure may have components like verification of documents, registration, generation/ change of password, selection of option for the order of preferences of colleges and branches and reporting for admission within the stipulated time in the allotted institution etc. Modus-operandi for depositing registration fees to participate in counselling, payment of advance tuition fees, procedure for issuing second password in case of lost or forgotten password, procedure for cancellation of admission and other relevant informations shall be made available on the website of the competent authority. To furnish other necessary information regarding counselling procedure to the candidates and to remove their difficulties, facility of help centre/ call centre shall be made available.";

(b) Clauses (c), (d), (e) and (f) shall be omitted;

(c) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

"(h) After first round of allotment on the basis of marks obtained in common entrance test, candidate shall have to proceed for admission in the institution/branch allotted. Candidates willing to take the chance for upgradation of institution/branch (Applicable only for the particular courses as declared by the competent authority) shall have to submit their option online for upgradation within the stipulated date in the manner declared by the competent authority. Candidates who have not been allotted any institution in this round shall also be required to submit an option for upgradation. In case of getting upgradation, candidate shall have to proceed for admission to the upgraded allotted institution/branch otherwise he/she shall act to take admission in the previously allotted institution/branch. Option for upgradation shall be available only in the first round of counselling and in no other round of counselling including in the counselling to be held on the basis of qualifying examination. Those candidates, who have been already admitted, if they wish to change their allotted institution/branch they may appear in the next round (if any) of counselling after getting their admission duly cancelled before the last date as declared by the competent authority. Candidates who were not allotted any seat previously or the candidates, who were unable to report in the allotted institution within the prescribed time limit, may also appear in this round of counselling.";

(d) after clause (h), the following new clauses shall be inserted, namely:-

"(i) If the seats remains vacant after the first round of counselling held on the basis of merit of common entrance test then the decision regarding holding of second round of counselling either separately on the basis of marks obtained in the entrance test and/or simultaneously with the counselling on the basis of marks obtained in the qualifying examination shall be taken by the competent authority keeping in view the number of vacant seats for a particular course and approximate

number of candidates willing for admission. In the counselling of qualifying examination all the available seats shall be presumed to be under unreserved seats and the allotment shall be made accordingly on the basis of a joint merit list of candidates of all categories. If, after aforesaid round of counselling seats still remains vacant, they shall be filled at college level in the presence of authorized representative of competent authority in accordance with the procedure notified by the competent authority, in which candidates who have appeared in the entrance test shall be given preference. For college level counselling, competent authority shall provide the information regarding dates, vacancies and authorized representative for each college on its website. It shall be mandatory for authorised representative of the competent authority as well as respective college to enter information about the admitted candidate through this counselling on the website of counselling authority strictly on the date of counselling.

(j) In B.E. courses, those candidates who are willing to opt for change in branch in the admitted institution may submit their option before College Level Counselling, as per the procedure notified by the competent authority at that time. In case the branch is changed, previously allotted branch shall be considered automatically cancelled and branch subsequently allotted shall remain in force."

3. In rule 8,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Admission on NRI seats shall be done by the Competent Authority through Centralised Counselling for those institutions that have got permission from Appropriate Authority to fill 5% of the sanctioned intake by NRI candidates only. These seats shall be filled as per the procedure and schedule notified by competent authority and any remaining vacant seats shall be filled by centralised counselling after merging them into general pool seats.";

(ii) for sub-rule (1-a), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1-a) In the counselling of general pool, first candidates of reserved categories shall be called in the following order, so that vacant reserved seats can be mutually converted :-

Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Scheduled Tribes/ Scheduled Castes.

After conducting counselling of reserved category candidates, as per above order, vacant seats, if any, shall be merged into the unreserved seats and then counselling for unreserved seats shall be conducted. Candidates of reserved category who find place in the merit list of unreserved category will also be considered in the allotment of seats under unreserved category. They will be given seat of their preference from reserved or unreserved category in which they are getting better choice. Such candidates of reserved category who are allotted seats from unreserved category shall be counted in the unreserved category.";

(iii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) There shall be one or two round/s of centralized counselling on the basis of merit of common entrance test or on the basis of qualifying examination depending upon the type of course, as the case may be. If seats remain vacant even after this round then remaining seats shall be filled by the respective college authorities in the presence of representative of competent authority, according to the procedure notified by the competent authority. Provisions of admission on the basis of marks in qualifying examination are not applicable for MBBS and BDS courses.";

(iv) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) If, after providing opportunity to the last candidate of list through common entrance test, it is decided to hold counselling on the basis of marks obtained in qualifying examination, then all the available seats shall be considered under unreserved seats and the seats of unreserved category for which allotment shall be made on the basis of a joint merit list of candidates of all categories.".

4. Rule 10 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following new sub-rule shall be inserted, namely :-

"(2) The Tuition Fee for the Institutional preference category seats shall be maximum 1.50 Lakh rupees per student per year for the entire duration of the course. Institution may charge lesser tuition fee other than above but not less than the tuition fee prescribed for General Pool Seats provided they have given an advance intimation of the same to Admission and Fees Regulatory Committee and the Competent Authority.".

5. For item 4 of annexure, the following item shall be substituted, namely:-

"4. Eligibility for admission in different courses shall be as per the qualification laid down by AICTE and the State Government.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHAMIM UDDIN, Addl.. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.